(नियम 26)
अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

रामकरण **बनाम** रूकमणी

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र बाजदायरी **संख्या 2026/15**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.11.2025 के द्वारा प्रार्थी की अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिससे प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नही हुआ है एवं प्रार्थी की अपील से सम्बन्धित अन्य अपीलें न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। ऐसी प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	